न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 85/2019

दायर दिनांक–12.06.2019

1 मंदिर श्री रघुनाथ जी (भगवानदास वाला) ट्रस्ट (रजि0) जरिये प्रबंधक व न्यासी श्री सत्यनारायण शर्मा चेला स्व0 श्री चरणदास जाति ब्राहम्ण निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी (भगवानदास वाला) विराजमान कोलसिया जरिये पुजारी सत्यनारायण शर्मा चेला स्व0 श्री चरणदास जाति ब्राहम्ण निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़।
3 महन्त सत्यानारायण चेला चरणदास जाति ब्राहम्ण निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र मुखराम धींवा जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़।
2. गिरधारीलाल पुत्र मांगूराम जांगिड़ जाति खाती निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़।
3. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री दीपेन्द्र जाखड़
वकील प्रतिवादी :– श्री किशोर कुमार जांगिड़

दावा बाबत बेदखली व तुडवाये जाने तामिर
व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 16.05.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम कोलसिया में स्थित वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 835 (853) रकबा 3.37 है0 की पूर्वी सीमा पर 17X17 वर्गवज जमीन से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जावे व इस पर किये गये निर्माण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खर्चे से तुड़वाकर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे। जितने समय तक नाजायज रूप से प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन पर काबिज रहे है उनका लगान का 15 गुणा पैनल्टी के रूप में दिलवाया जावे।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वादी संख्या 1 की भूमि में किसी प्रकार का नया निर्माण नही करें तथा भूमि को वेस्ट व डेमेज नही करें, भूमि की किस्म परिर्वतन नही करें तथा बेदखल किये जाने पर पुनः कब्जा नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार जांगिड़ ने वकालतनामा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तथा प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से जबाब नही पेश करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत हेतु सत्यनारायण व बंशीलाल के चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श 2 नकल नवशा ट्रेस आदि दस्तावेज पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने [illegible]–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं [illegible] का [illegible]पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के [illegible] विवादग्रस्त भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–01 से प्रमाणित है [illegible] व स्थाई नि[illegible] इस्तदुआ चाही गई है। उक्त भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी [illegible] रिकॉर्ड की भूमि है जिस[illegible] हक अधिकार वादीगण का है। जिसपर पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा अवैध व नाजायज रूप से कब्जा किया गया है। अतः उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 व 2 को बेदखल किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

:: आदेश ::

वाद वादी (853) आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम कोलसिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 835 रकबा 3.37 है0 की पूर्वी सीमा पर 17X17 वर्गगज जमीन से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, भूमि को वेस्ट डेमेज नही करें तथा भूमि की किस्म परिर्वतन नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव) 16/5/24
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

नोट :- आदेशिका दिनांक 25/6/24 के अनुसरण मे खसरा न. 835 के स्थान पर 853 दुरुस्त किया जाता है।

25/6/24

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : विभाजन व घोषणार्थ

मुकदमा सं0:– 162/2023 **(इन्द्राज बनाम ओमप्रकाश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.05.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम कोलसिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 835 (853) रकबा 3.37 है0 की पूर्वी सीमा पर 17X17 वर्गगज जमीन से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, भूमि को वेस्ट डेमेज नही करें तथा भूमि की किस्म परिर्वतन नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2024 को जारी की गई।

16/5/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्र.) नवलगढ
मोहर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

नोट :- आदेशिका दिनांक 25/6/24 के अनुसरण से खसरा नं. 835 के स्थान [illegible] दुरुस्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested